रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 209] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 1991/आश्विन 1, 1913
No. 209] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 1991/ASVINA 1, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1991

सार्वजनिक सूचना सं. 216/आईटीसी (पी एन)/90—93

विषय :—1990-91 के लिए 981 मिलियन येन (981,000,000 येन) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जन संचार अनुसंधान केन्द्र परियोजना के निष्पादन और उत्पादों के परिवहन के लिए अपेक्षित सेवाओं से सम्बन्धित लाइसेंसिंग शर्तें।

फाइल सं. आई पी सी/23 (77)/90-93—1990—91 के लिए 981 मिलियन येन (981,000,000 येन) की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जन संचार अनुसंधान केन्द्र परियोजना के निष्पादन के लिए उपस्करों के आयात और उत्पादों के परिवहन के लिए अपेक्षित सेवाओं सम्बन्धी जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, एतद्द्वारा सूचना के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

जी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 216 आईटीसी (पी एन)/90—93 दिनांक 23-9-1991 का परिशिष्ट

वर्ष 1990-91 के लिए 981 मिलियन येन (येन 981,000,000) की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जन संचार अनुसंधान केन्द्र परियोजना के निष्पादन हेतु जापान से उत्पादों और आवश्यक परिवहन के लिए लाइसेंसिंग शर्तें।

खण्ड 1—सामान्य शर्तें

1(1) वर्ष 1990-91 के लिए 981 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता उपस्कर के आयात के लिए और उसके भारतीय पत्तनों पर परिवहन के लिए सेवाओं के लिए संभरकों को की जाने वाली अदायगी के वित्त पोषण के लिए है।

1(2) आयातक के नाम में आयात लाइसेंस कुल मिलाकर 1079 मिलियन येन (लागत बीमा भाड़ा) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाने चाहिए और उन पर एक बीपैक 1990-91 के लिए 981 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंसिंग कोड "एस/जे एन" होगा। परंतु सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए कोई आयात लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

1(3) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(4) उपस्कर की प्राप्ति इस अनुदान के अन्तर्गत जापान से ही की जाए।

1(5) आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा आधार पर जारी किया जाएगा जो कि 21-2-1992 तक वैध रहेगा।

1(6) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें सुपुर्दगी की अवधि के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"सुपुर्दगी 5-1-1992 तक पूर्ण की जानी है।"

1(7) संविदा का मूल्य लागत और भाड़ा या जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य आधार पर येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन की भिन्न को हटाया जाना चाहिए) और भारतीय अभिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो शामिल नहीं किया जाना चाहिए । अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जानी चाहिए, परंतु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए, कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्चा वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

1(8) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रिकों या जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी वैध व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए। एक प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जिसमें संभरक की पात्रता दर्शायी गई हो प्रत्येक संविदा के साथ जोड़ी जानी चाहिए।

खण्ड 2—संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :—

2(1) 1990-91 के लिए 981 मिलियन येन की अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 22 जनवरी, 1991 को भारत और जापानी सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1990-91 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखों परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, इण्डियन आयल भवन, 5 वां तल (बी विंग) जनपथ नई दिल्ली—110001 द्वारा जारी किया जाएगा

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत है जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापानी सरकार द्वारा अपेक्षित हों।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोक्यो के साथ विचार विमर्श करके पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया हो और उस उद्देश्य से वह शामिल माल की डिलीवरी के कार्यक्रम के बारे में भारतीय दूतावास, टोक्यो को सूचित करता रहेगा और कम से कम छः हफ्ते पहले अपेक्षित पोतलदान की अग्रसूचना भारतीय दूतावास को देगा ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके। अपवाद स्वरूप अगर आयातकर्ता चाहे तो नोटिस की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातकर्ता को केबल द्वारा आवश्यक ब्यौरे की सूचना देने के लिए भी सहमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जाएगी।

खण्ड 3—भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन।

3(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं लाइसेंस-धारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियों या जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश को चार प्रतियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-1 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियों सहित अवर सचिव (जापान) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जापान अनुभाग, 1990-91 के लिए 981 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वितरण देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सैट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, इंडियन आयल भवन 5 वां तल, बी विंग जनपथ, नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को अनुबन्ध-2 के अनुसार एक "भुगतान प्राधिकार पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत सरकार का दूतावास टोकियो, आयातक भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

3(5) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंकिंग प्रभारों का भुगतान भारत में आयातकर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक सूत्रों के माध्यम से बैंक आफ इंडिया टोकियो को धन परेषण द्वारा तय किया जाएगा।

खंड-4—रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

4(1) मूल पराकाम्य पोत परिवहन दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंधित बैंक को भेजे जाएंगे जो कि भारतीय स्टेट बैंक या अनुबंध-1 में (ग) पर यथा-उल्लिखित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी जो संबंधित आयातक को पराकाम्य जहाजरानी दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन भुगतान की समतुल्य रुपये की धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है, ब्याज के प्रभारों सहित मूल्य अग्रायगी की राशि सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और

उस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपये जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टीसी(पीएन)/83, दिनांक 20-8-83 अब और 35—आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 26-8-83 की शर्तों के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है, ब्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, देय है, देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 और सार्वजनिक सूचना सं. 230-आईटीसी (पीएन)/85-88, दिनांक 20-7-87 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 आयात के द्वारा किए जाने वाले रुपये निवेशों को निकटतम रुपये में गिना जाएगा। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 तथा सार्वजनिक सूचना सं. 113—आईटीसी (पीएन)/88-91 दिनांक 6-4-89 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी जो भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही वह वे विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं। यदि आयातक सरकार को देय धनराशि को माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपाजिट्स एंड एडवांसिज 8443 सिविल डिपाजिट्स फार परचेजिज एटसैक्ट्रा एंड अण्डर ग्रांट ऐड फ्रोम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान फार 1989-90 ग्रांट फार दि परचेज ऑफ इक्विपमेंट फार मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर ज एम आई सी यूनिवर्सिटी" होगा।

4(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर कोने में कोड सं. 5160000009 का संकेत देते हुए या ऐसा संभव न हो तो पैसा भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी अनुषंगी शाखा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक(ड्रायी/ड्राअर) से डिमांड ड्राफ्ट लेकर उसे भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी दिल्ली-6 (ड्रायी एंड पेयी) को अदा किया जाए लिखकर सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 में यथा-निर्धारित रूप में जमा होना चाहिए।

4(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसा किया जाने के बाद सात दिनों के भीतर भारत में संबंद्ध बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा प्रभारों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन प्रेषण" और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे में निरपवाद रूप से लिखित किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) अदा किए गए ब्याज की राशि और अवधि जिसके लिए गिना गया है।

(ङ) कुल जमा राशि।

(ब्याज की गणना जापानी संभरक को अदायगी की तारीख से और उस तारीख तक जिस तारीख को समकक्ष रुपया सरकारी खाते में जमा कराया है, की जाएगी)।

उसके पश्चात सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार का सन्दर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत-परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना है।

टिप्पणी:— भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि उसके तत्काल बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक को लाईसेंस को मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड 5—विधि व्यवस्थाएं

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग करने की रिपोर्ट।

संभरक को की जाने वाली अदायगियों की राशि और तारीख का सुनिश्चय करने के लिए आयातक को अलग से व्यवस्था करनी होगी आयातक के बैंक द्वारा देर या विलम्ब से प्राप्त पोत परिवहन इत्यादि प्रलेखों की प्राप्ति के रुपया निक्षेप राशि पर देय ब्याज राशि को आंशिक या पूर्ण रूप में माफ करने का कारण नहीं माना जाएगा।

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय इंडियन आयल भवन, 5वां तल (बी विंग) जनपथ, नई दिल्ली 110001 को भेजनी चाहिए।

5(2) आयातक को उन किसी विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो इस अनुदान सहायता के अंतर्गत माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालते हैं।

5(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाईसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय स्टेट बैंक टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध - I में भुगतान की शर्तों के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटाने से संबद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिएं।

5(4) भावी अनुदेश

जापान से 1990-91 के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत आयात लाईसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापान से इस अनुदान सहायता के अंतर्गत सभी आयातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निर्देशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाएगी।

5(6) अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध-1 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध

अनुबंध-2 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

अनुबंध—1

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

संख्या ————

सेवा में

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
"बी" विंग 5 वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ नई दिल्ली।

विषय :— जामिया मिलिया केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जन संचार अनुसंधान केन्द्र के लिए परियोजना के निष्पादन हेतु 1990-91 के लिए 981 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत के पत्तनों पर उपस्करों के परिवहन के लिए अपेक्षित उपस्कर और सेवाओं का आयात

महोदय

उपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपकरणों और उनके परिवहन के लिए आवश्यक सेवाओं के संबंध में हम संबद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र भेज रहे हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाईसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और अब तक यह वैध है।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रतिस्पर्धा खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)।

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक जापानी संभरक का नाम और पता।

(ट) वे भुगतान और संभावित तिथि जिनको संविदाओं के अंतर्गत देय होंगे।

(ठ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियां।

(ड) बैंक ऑफ इंडिया टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दर्शाते हुए)।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (अनुमेय या गैर अनुमेय) यानान्तरण/आंशिक पोतलदान निर्दिष्ट कीजिए।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(त) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के प्रभार कौन वहन करेगा, कृपया निर्दिष्ट करें।

(थ) आयातक द्वारा वचनबद्धता :— "हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपये की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचलित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्ण राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी राष्ट्रिकों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी"।

भवदीय,

अनुबंध—2

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं. ————

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

बैंक ऑफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :—1990-91 के लिए 981 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत के पत्तनों पर उपस्करों के परिवहन के लिए अपेक्षित उपस्कर और सेवाओं का आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 22-1-1991 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथासंलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ———————को——————— ———————येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की वापसी के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो, और इस मंत्रालय की पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा सांकेतिक लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करते समय (आयातक के बैंक का नाम और पता ------------------------------------ मूल पोत परिवहन दस्तावेज जिसके साथ अतिरिक्त दस्तावेजों का पूरा सैट और संभरक की अदायगी के लिए नामे बीजक की प्रति जिसमें अदायगी यदि कोई हो भेजा जाना चाहिए।

5. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकरों के प्रभार को भेजने आदि के लिए भाड़े सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक के द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

6. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

7. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र ------------------------ तक वैध रहेगा।

9. इस प्राधिकार पत्र के शीर्ष पर दिया गया है इसे संविदा से संबंधित सारे पत्राचार में और बीजक में अदायगी दर्शाते हुए भी इसे लिखा जाए।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ------------------- को उसके पत्र सं० -------------
---------------------- दिनांक के ---------------------
के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकरों के माध्यम से रुपया निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पत्तन प्राधिकारियों से मूल पोत लदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिएं। विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाएं, निक्षेप कर दिए जाएं। निक्षेप जल्दी हो और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में यथा उल्लिखित आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

2. आयातक के बैंकर ------------------------------------।

(1) यह प्राधिकार पत्र येन क्रेडिट के अंतर्गत आयातों को शासित करने वाली संबंधित लाइसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है। लाइसेंस शर्तों और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं को देखें और आयात/विदेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई करें।

(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 और 113-आईटीसी (पी एन)/88-89, दिनांक 6-4-88 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएगी। प्रथम 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18%/वार्षिक दर से ब्याज जो कि संभरक को भुगतान की तारीख/बैंक आफ इंडिया की प्रतिपूर्ति की तारीख और जिस तारीख को समतुल्य रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जाए उन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 और सार्वजनिक सूचना सं. 35-आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 26-8-83 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा कराना है। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय है अर्थात् वह तारीख जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और यह भी तारीख जिसको भारत सरकार के लेखे में रुपया जमा कराया जाता है। (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा)। 20-7-87 की सार्वजनिक सूचना सं. 230-आईटीसी (पीएन)/85-88 की शर्तानुसार आयातक द्वारा निक्षेप किए जाने वाले रुपये की गणना निकटतम रुपये के गुणक में की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

(3) ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के दाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्ष जिसमें रुपया जमा कराना है के डी डिपोजिट्स एंड एडवांसिज—8443—सिविल डिपाजिट्स, डिपोजिट्स नोट बेयरिंग इन्ट्रेस्ट—डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा अब्रॉड, परचेजिज अण्डर ग्रांट ऐड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1990 अण्डर डिटेल्ड हेड 981 मिलियन येन ग्रांट एण्ड फार परचेज आफ इक्विपमेंटस एण्ड सर्विसिज होगा।

(4) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाए उन मामलों में चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि उन के द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए, जिसके साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक अग्रेषण पत्र होना चाहिए:—

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
इंडियन आयल भवन, 5वां तल (बी विंग),
जनपथ, नई दिल्ली-110001।

(5) जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में जमा किए गए तुल्य रुपये चुकाये गए ब्याज की राशि और वह अवधि जिसके लिए ब्याज गिना गया है, का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

(6) बीच के बैंक प्रभार और विदेशी संभरकों, के बैंकरों के प्रभार, यदि कोई हों, तो वे भारतीय बैंक और बैंक आफ इंडिया, टोकियो के बीच सीधे तय किए जाने चाहिएं।

(7) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर के रूप में बैंक के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस संबंध में 18-6-1977 के ए. डी. परिपत्र सं. 22 की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. भारतीय दूतावास, टोकियो।

4. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को भाई. डी. सं. ———— दिनांक ————के संदर्भ में।

(लेखा अधिकारी)

## MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

New Delhi, the 23rd September, 1991

## PUBLIC NOTICE NO. 216-ITC(PN)/90—93

Subject :—Licensing Conditions for the execution of the project Mass Communication Research Centre and Services necessary for the transportation of the products from Japan under Japanese Grant Aid for 1990-91 of Yen 981 million (Yen 981,000,000).

File No. IPC/23(77)/90—93.—The terms and conditions for import of equipment for execution of the project Mass Communication Research Centre and Services necessary for the transportation of the products from Japan under Japanese Grant Aid for 1990-91 of Yen 981 million (Yen 981,000,000), are contained in the Appendix to this Public Notice and are notified for information.

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

## APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 216-ITC(PN)/90—93 DATED 23-9-91

Licensing Conditions for the execution of the project Mass Communication Research Centre and Services necessary for the transportation of the products from Japan under Japanese Grant Aid for 1990-91 of Yen 981 million (Yen 981,000,000).

Section I—General Conditions

I (i) The Japanese Grant Aid for 1990-91 of Yen 981 million is intended to be used for financing payments to Japanese suppliers for import of equipment and services necessary for the transportation thereof to ports in India, and those for internal transportation therein.

(ii) The import licences should be issued for an aggregate amount not exceeding Yen 1079 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 981 million Japanese Grant Aid for 1990-91". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". But no import licence is required for items covered under O.G.L.

(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agents Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

(iv) The equipment should be procured only from Japan under this Grant Aid.

(v) The import licences will be issued on CIF basis with validity upto 21-1-1992.

(vi) The amount contract should provide for payment on cash basis, i.e., on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 5-1-1992".

(vii) The contract value (FOB or C&F basis only) should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(vii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese periodical persons controlled by Japanese nationals. A certificate (in duplicate) showing the eligibility of the supplier should be added to each contract.

Section II—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 22nd Jan., 1991 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 981 million for 1990-91 and will be subject to the approval of both the Governments.

(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Janpath Bhawan, Vth Floor (B Wing), Janpath, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1990-91.

(iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

(iv) The Japanese suppliers agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be re-

duced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III Contract Approval by Governments of India and Japan

III (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (Japan) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi. 5 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order of confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A|P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1990-91 of Yen 981 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Vth Floor, B-Wing, Janpath, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A|P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A|P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A|P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

III (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A|P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks, as mentioned in (o) in Annexure-I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC (PN)|83 dated 10-8-83 and No. 35|ITC(PN)|83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposit is made into Govenment account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. Ni 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. In terms of Public Notice No. 230-17C(PN)|85-88 dt. 20-7-87, the rupee deposits to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. The exchange rate to be adopted or computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-1976 and 113-ITC(PN) 88-91 dated 6-4-89 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Goevrnment account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amount due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further "A|P" to him may be stopped. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances 8443-Civil Deposits, Deposits not bearing interest—Deposits for purchages etc., abroad—purchase under Grant Aid—from the Government of Japan" for 1989-90—Grant for purchase of Equipments for Mass Communication Research Centre JMIC University

IV (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer)

drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 103-ITC(PN) 76 dated 12-10 76.

IV (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various column in the Challan it should be ensured by the Importers their bankers that the information prescribed in Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittance and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance 'A|P' (Authorisation to Pay) No. and Date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the Japanese supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A|P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note :—Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V: Miscellaneous provisions

V(i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importers should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping documents etc. by the importer's Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The imporer should send a monthly report after the A|P has been issued regarding shipment and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Vth Floor (B Wing), Janpath, New Delhi-110001.

V (ii) The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction

V(iii) Disputes

It should be understood that the Govenment of India will not undertake any responsibility for dispute, if any that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment" Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V(iv) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or oders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1990-91 from Japan

V(v) Breach or violation

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V(vi) List of Annexures

Annexure I :—Request for issue of A|P.

Annexure II :—Form of A|P.

ANNEXURE-I

LIST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY

To,

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
'B' Wing, 5th Floor,
Janpath Bhawan, Janpath,
New Delhi.

Subject :—Import of Equipment and services necessary for the transportation of the equipments to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen million for 1989-90 to the execution of the project for Mass Communication Research Centre in Jamia Millia Islamia Central University.

In connection with the import of equipment and services necessary for its transportation of the Equipment from Japan under the abovementioned Grant

Aid, we furnish A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned :—

(a) Name and address of Indian importer.

(b) Number, Date and value of the import license and date upto which it is valid.

(c) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F value (in Yen) for which the A|P is required

(i) Number and date of the contract with Japanese suppliers

(j) Name and address of the Japanese supplier.

(k) Payments terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment|part shipment permitted or not permitted).

(o) Name and address of the Importer's bank in India.

(p) Who will bear the banking charge of the B.O.I., Tokyo-importer or supplier. please specify.

(q) Undertaking by the importer.—"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to suppliers".

Yours faithfully,

ANNEXURE-II

Authorisation of pay No.

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To,

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject :—Import of equipment and services necessary for the transportation of the equipment to posts in India from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 981 million for 1990-91. Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and condition of the agreement dated 22-1-1991 entered into with your Bank, you are hereby authorised to Pay an amount not exceeding on—————to M|s—————as per details given in the appendix.

2. Please advise the supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A|P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A|P may be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. On making payment to the foreign suppliers, you should send to (Name & address of Importers' Banker) the original shipping documents negotiable as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to supplier including the down payment if any.

5. Banking charges including charges for handling document and charges of overseas suppliers, bankers if any, payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importers' bank.

7. No amendment to this A|P may be advised in the absence of a specific Authority from this Ministry.

8. This A|P will remain valid upto

9. Please quote the number given at the top of this Authorisation to Pay in all correspondence

relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,

Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer————————with reference to their Letter No.——————dated————. They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments of services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the licensing conditions.

2. Importers' Banker————————

(i) This Authorisation to Pay is issued under the relevant Licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected Public Notices order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of the documents from the Bank of India, Tokyo Branch, the rupee equivalent to amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 and 113-ITC-(PN)-88-91 dated 6-4-89 or such other Public Notices as may be issued from time to time.

Interest @ 12 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 13 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government of India's account in terms of Public Notices No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83 and No. 35/ITC(PN)/83 dated 26-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the date on which rupee deposit is made into the Government account (any change in this rate will be notified if and when made). In terms of Public Notice No. 230-ITC(PN)/85-88 dated 20-7-1987 the rupee deposits to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import negotiable documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks(Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is K-Deposits & Advances-8443-CIVIL Deposits (Deposit not bearing interest) Deposit for purchases etc. abroad—purchases under Grant Aid from Govt. of Japan for 1990-91 under detailed head "Yen 981" million grant aid for purchase of Equipments/services.

(iv) One copy of the Challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI. Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). Indian Oil Bhawan. Vth Floor, (B Wing), Janpath, New Delhi-110 001.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-68, mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the B.O.I., Tokyo.

(vii) The Bank's duties and responsibilities as authorised Dealer in foreign exchange are prescribed in various AD Circulars of the R.B.I. Specific reference in this regard is invited to A.D. Circular No 22 dated 18-6-1977.

3. Embassy of India, Tokyo

4. The Under Secretary (Japan Section), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. New Delhi with reference to I.D. No.————————dated————————.

Accounts Officer.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991